26/8/21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट द्वारा पेश काउन्टर क्लेम पर किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति के बाद सुनवाई पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट येन-केन प्रकारेण मामले को लंबा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय अपीलांट द्वारा पेश काउन्टर क्लेम पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि की प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर (seal)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सहायक कलक्टर गुड़ामालानी ने राजस्व वाद संख्या 394/2007 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7/1/2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलांट द्वारा पेश काउन्टर क्लेम को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत गुणावगुण पर तीन माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्षगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22/09/2021 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर